

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 84 / 15

संस्थापन दिनांक : 04.03.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—राकेशसिंह उर्फ दिनेश पुत्र औतारसिंह पवैया उम्र  
32 वर्ष निवासी ग्राम गुहीसर थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 457 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 04.01.15 को फरियादी उदलसिंह का घर ग्राम गुहीसर में फरियादी उदलसिंह के निवासगृह में चोरी का अपराध कारित करने के आशय से सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रो गृहभेदन कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 04.01.15 को फरियादी उदलसिंह अ0सा01 खाना खाकर दूसरे चौक में सोया था उसके बच्चे भैंस के पास दूसरे चौक में सोये थे तभी एकदम उसे आहट सुनाई दी तो वह जाकर अपनी भैंस के पास गया तो भैंस छूटी पाई उसने कहा कि कौन है तभी एक व्यक्ति घर से भागा तो वह चिल्लाया पकड़ो फिर उसने बल्ब की रोशनी में आरोपी राकेश पवैया को भागते समय पहचान लिया था उसकी आवाज सुनकर विजय व अरविन्द भी आ गये थे। तत्पश्चात फरियादी उदलसिंह अ0सा01 ने आरोपी के विरुद्ध थाना मौ में एफ.आई.आर. प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप0क्र0 05/15 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है।

आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने घटना दिनांक 04.01.15 को फरियादी उदलसिंह का घर ग्राम गुहीसर में फरियादी उदलसिंह के निवासगृह में चोरी का अपराध कारित करने के आशय से सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रो गृहभेदन कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. उदलसिंह अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी राकेश को जानता है जो उसके गांव का है गत वर्ष रात के समय उसकी भैंस छूटकर घर के बाहर घूम रही थी तब एक व्यक्ति भी वहां घूम रहा था उसे शक हुआ तो उसने उस व्यक्ति से पूछा तो उसने वहां से निकलना बताया फिर गांववालों को इकट्ठा कर उस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गया जहां उसने रिपोर्ट प्र0पी-1 की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस उसके घर आई थी नक्शामौका प्र0पी-2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी राकेश का वह व्यक्ति न होना बताया है और राकेश का नाम रिपोर्ट में लिखाये जाने से भी इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 03.01.15 को जब वह अंदर सो रहा था तब रात के एक बजे उसे आवाज आई तब उसने देखा कि आरोपी राकेश उसकी भैंस छोरकर भाग रहा था इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने बल्ब की रोशनी में आरोपी राकेश को पहचान लिया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
6. अरविन्द अ0सा02 ने भी साक्ष्य के दौरान उपस्थित आरोपी राकेश को जानना स्वीकार किया है। परन्तु उसके समक्ष कोई घटना होने के तथ्य से इंकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 03.01.15 को जब फरियादी उदलसिंह चिल्लाया तब वह व विजयसिंह दौड़कर गये थे इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उदलसिंह के घर से आरोपी राकेश भागकर जा रहा था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. अतः स्वयं फरियादी उदल अ0सा01 ने आरोपी को स्पष्ट रूप से पहचानकर उसके द्वारा अपने निवासगृह में प्रवेश किए जाने से स्पष्ट इंकार किया है और अन्य व्यक्ति को घटनास्थल के समीप दिखना बताया है। साक्षी अरविन्द अ0सा02 ने न्यायालयीन साक्ष्य में स्वयं को घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होने से इंकार किया है। अतः स्वयं फरियादी उदल अ0सा01 व साक्षी अरविन्द अ0सा02 ने आरोपी द्वारा उदल अ0सा01 के निवासगृह में प्रवेश किए जाने के तथ्यों से स्पष्ट इंकार किया है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 04.01.15 को फरियादी

उदलसिंह का घर ग्राम गुहीसर में फरियादी उदलसिंह के निवासगृह में चोरी का अपराध कारित करने के आशय से सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार या रात्रो गृहभेदन कारित किया।

8. परिणामतः आरोपी को धारा 457 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0